न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 57/2022/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांकः 12.04.2022
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

जगन्नाथ आयु 50 वर्ष आत्मज भूरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोहनपुरा, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बून्दी, जिला बून्दी

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री रामगोपाल गुर्जर एवं राजकुमार गौतम अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 04.04.2025

अपीलांट ने न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 56/अपील/2019 बउनवान जगन्नाथ बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 1054/19 धारा 91(2) एलआरएक्ट के अन्तर्गत अपीलार्थी को पटवारी हल्का नीमका खेड़ा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मोहनपुरा के खसरा सं0 421, 422, 423, 430, 431, 432, 433, 435 कुल रकबा 7.04 बीघा किस्म सिवायचक/राजकीय भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण कर फसल गेहू की काश्त किये जाने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में होना मानते हुए अपीलार्थी को उक्त आराजी से बेदखल कर 907/– रूपये शास्ति एवं तीस दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 16.03.2019 पारित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जला कलक्टर, बून्दी के यहां पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.01.2021 से अपीलांट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने से अपील अपीलांट खारिज की गई। उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालय से व्यथित होकर अपीलांट ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय वस्तुस्थिति एवं विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा भी हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को संवत 2075 मौसम रबी में भी उक्त भूमि पर गेंहू की फसल काश्त कर अवैध अतिक्रमण का दोषी मानकर निर्णय दिया गया था। न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही निर्णय पारित किया गया है साथ ही प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

उक्त दण्डादेश को यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया जो, विधि विरूद्ध एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के सर्वथा विपरित है। अपीलांट का मौके पर किसी भी गै.मु. सिवायक सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट ने ग्राम मोहनपुरा के खसरा सं0 421, 422, 423, 430, 431, 432, 433, 435 कुल रकबा 7.04 से अपना कब्जा छोड़ दिया है तथा पैनल्टी राशि भी जमा करवा दी गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त फरमाये जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों के परिपेक्ष्य में कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही निर्णय पारित किया गया है साथ ही प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा उक्त दण्डादेश को यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया गया जो विधि विरूद्ध एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के सर्वथा विपरित है। अपीलांट का मौके पर किसी भी गै.मु. सिवायक सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट ने ग्राम मोहनपुरा के खसरा सं0 421, 422, 423, 430, 431, 432, 433, 435 कुल रकबा 7.04 से अपना कब्जा छोड़ दिया है तथा पैनल्टी राशि भी जमा करवा दी गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय उचित होना प्रकट किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय तहसीलदार, बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 1054/19 धारा 91(2) एलआरएक्ट के अन्तर्गत अपीलार्थी को पटवारी हल्का नीमका खेड़ा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मोहनपुरा के खसरा सं0 421, 422, 423, 430, 431, 432, 433, 435 कुल रकबा 7.04 बीघा किस्म सिवायचक/राजकीय भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण कर फसल गेहू की काश्त किये जाने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में होना मानते हुए अपीलार्थी को उक्त आराजी से बेदखल कर 907/– रूपये शास्ति एवं तीस दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 16.03.2019 पारित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.01.2021 से अपीलांट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने से अपील अपीलांट खारिज की गई। अपीलांट का प्रकरण में तर्क है कि अपीलांट का मौके पर किसी भी गै.मु. सिवायक सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट ने ग्राम मोहनपुरा के खसरा सं0 421, 422, 423, 430, 431, 432, 433, 435 कुल रकबा 7.04 से अपना कब्जा छोड़ दिया है तथा पैनल्टी राशि भी जमा करवा दी गई है। प्रस्तुत अपीलीय प्रकरण में तहसीलदार, बून्दी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदा, बून्दी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 07.03.2025 में वर्णित किया गया कि प्रश्नगत आराजी के संबंध में पटवारी हल्का से जांच करवाई गई। पटवारी हल्का से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 16.08.20224 के अनुसार प्रश्नगत आराजी सिवायचक दर्ज है। उक्त खसरा सं0 के संबंध में धारा 175 आरटीएक्ट 1955 के अन्तर्गत राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज होने पर तहसील स्तर से जुवारा काश्त हेतु प्रतिवर्ष नीलामी बोली लगवाई जाती रही है। किंतु संवत 2076, 2077 एवं 2078 में किसी व्यक्ति के द्वारा नीलामी बोली नहीं लगाई गई। उक्त

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

संवत में जगन्नाथ आ0 भूरा जाति गुर्जर (अपीलांट) द्वारा अनाधिकृत अतिक्रमण कर काश्त करने से पटवारी हल्का द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत रिपोर्ट की गई। संवत 2079 एवं 2080 में उक्त खसरा नम्बरान की ज्वारा काश्त हेतु निलामी बोली अलग–अलग काश्तकारों द्वारा लगाई गई तथा जिसकी बोली स्वीकृत की गई वही कब्जा काश्त रहा है। संवत 2081 में खसरा सं0 422, 423 की नीलामी बोली महावीर आत्मज जगन्नाथ गुर्जर निवासी मोहनपुरा के नाम रही तथा खसरा सं0 430, 431, 432, 433 तथा 435 में नीलामी बोली नहीं लगी है। मौके पर उक्त भूमि वर्तमान में पड़त है। संवर्त 2078 के पश्चात् अतिक्रमी जगन्नाथ आत्मज भूरा निवासी मोहनपुरा के द्वारा उक्त खसरा नंबरान पर से कब्जा छोड़ दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा यह कथन किया गया है कि उसके द्वारा प्रकरण में पैनल्टी राशि जमा करवा दी गई है एवं वर्तमान में कोई कब्जा प्रश्नगत आराजी पर अपीलांट का नहीं है तथा तहसीलदार, बून्दी से रिपोर्ट दिनांक 07.03.2025 में भी स्पष्ट किया गया है कि संवत 2081 में खसरा सं0 422, 423 की नीलामी बोली महावीर आत्मज जगन्नाथ गुर्जर निवासी मोहनपुरा के नाम रही तथा खसरा सं0 430, 431, 432, 433 तथा 435 में नीलामी बोली नहीं लगी है। मौके पर उक्त भूमि वर्तमान में पड़त है। संवर्त 2078 के पश्चात् अतिक्रमी जगन्नाथ आत्मज भूरा निवासी मोहनपुरा के द्वारा उक्त खसरा नंबरान पर से कब्जा छोड़ दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए सहानुभूतिपूर्व रूख अपनाते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी का निर्णय दिनांक 12.01.2021 अपास्त किया जाता है एवं न्यायालय तहसीलदार, बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 1054/2019 बउनवान जगन्नाथ बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2019 से अपीलांट जगन्नाथ आत्मज भूरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोहनपुरा, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी के 30 दिवस के सिविल कारावास के दण्डादेश को निरस्त किया जाता है।

6 निर्णय आज दिनांक 04.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा